आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (   )आकाशि/नि.सं./2019/202   दिनांक 8/11/19

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
(निजी महाविद्यालय की एनओसी के संबंध में नोडल निरीक्षण अधिकारी)
राजस्थान

विषयः– सत्र 2020–21 के लिए निजी महाविद्यालय का निरीक्षण करने एवं प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में आयुक्तालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नोडल महाविद्यालय के प्राचार्यों को लेख है कि निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण के कार्य को त्वरित समयबद्व एवं दक्षतापूर्वक करने हेतु अविलम्ब निरीक्षण दलों का गठन करें। उक्त सन्दर्भ में अग्रलिखित निर्देशो की पालना सुनिश्चित करें–

1. निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए आवेदनों की संख्या 10 तक होने पर प्राचार्य स्वयं/उप–प्राचार्य/वरिष्ठतम संकाय सदस्य के नेतृत्व में त्रि–सदस्यीय निरीक्षण दल का गठन करें। त्रि–सदस्यीय निरीक्षण दल के गठन में वरिष्ठता के नियम की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
2. प्राप्त आवेदनों की संख्या 10 से अधिक होने पर प्रत्येक निरीक्षण दल को 10 के गुणक में निजी महाविद्यालयों का अवंटन प्राचार्य स्वयं के स्तर पर करें।
3. निरीक्षण के समय निरीक्षण दल प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर, पूरा नाम व मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से लिखते हुए सील भी लगावें।
4. प्रत्येक निरीक्षण दल निरीक्षण करने के पश्चात निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित प्राचार्य को प्रस्तुत करें तथा प्राप्त रिपोर्ट को प्राचार्य आयुक्तालय को अविलम्ब प्रेषित करें।
5. प्राचार्य निरीक्षण दलों द्वारा किये जा रहे कार्यो का समन्वय करें एवं आयुक्तालय द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
6. निरीक्षण करते समय Geotagging हेतु निरीक्षण दल प्रभारी अपने स्मार्टफोन में NOC online Portal से महाविद्यालय भू–भवन एप डाउनलाड करेंगें तथा निजी महाविद्यालय की भूमि व भवन के फोटोग्राफ एप के माध्यम से लेकर सेंड करेगें।
7. आनलाइन आवेदन लॉक व सबमिट करने के 40 दिन के अन्दर निजी महाविद्यालय का निरीक्षण कर आगामी 10 दिवस मे निरीक्षण रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण पत्रावली ऑनलाइन व ऑफलाइन (हार्ड कापी) आयुक्तालय को प्रेषित करें।
8. स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र / अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक ऐसे निजी महाविद्यालय जिन्होने केवल वार्षिक शुल्क जमा करवाने के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरा है, तथा उन्होने किसी भी अन्य संकाय या विषय के लिए या अन्य किसी प्रकरण के लिए आवेदन नही किया है, उनके निरीक्षण की अवश्यकता नही है। ऐसे निजी महाविद्यालयों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की हॉर्डकॉपी के साथ समस्त आनापत्ति प्रमाण पत्रों व सम्बद्धता प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति तथा शुल्क के चालान की जॉच कर अपनी रिपोर्ट के साथ आयुक्तालय में प्रेषित करेगें।
9. यदि निजी महाविद्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन को अग्रेषित करने के लिए प्रस्तुत करता है तो उस आवेदन पत्र को संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग को अग्रेषित करें।
10. यदि आपके महाविद्यालय में निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु आवश्यक संकाय सदस्य पर्याप्त संख्या में नही है तो इसकी व्यवस्था DRAC के माध्यम से करवाएं।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा एवं
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपिः– वेबसाइट प्रभारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक (नि. सं.)